19

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा म0प्र0

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs-30/-

R 5360 - III/16

1. राममिलन तनय स्व0 बाल्मीकराम ब्राम्हण निवासी ग्राम बेलदहा, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी म0प्र0
2. दिनेश कुमार पिता राममिलन राम ब्राम्हण निवासी ग्राम बेलदहा तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी म0प्र0

----निगरानीकर्तागण

बनाम

मोतीलाल तनय स्व0 बाल्मीकराम ब्राम्हण (शर्मा) निवासी ग्राम बेलदहा, तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

---------रेस्पाडेन्ट

अधिवक्ता श्री प्रमोद मिश्रा द्वारा पेश। 6.8.16

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 20.07.16 जो न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा कैम्प कोर्ट सीधी द्वारा प्रकरण कमांक 343/अपील/2012-13 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 5360–दो/2016 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–04–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 343/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20–7–16 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के कम में आदेश पारित किया गया है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	